

## अध्याय I

### सेवा कर प्रशासन

#### संघ सरकार के स्रोत

1.1 भारत सरकार के स्रोतों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है जो वि.व. 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़ थी।<sup>1</sup> इनमें से ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 13,99,951.05 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	करोड़ ₹
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	13,47,437.62
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	5,58,989.47
ii. अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	4,77,470.98
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियाँ	3,10,977.17
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	25,889.80
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	26,623.63
घ. उधार प्राप्तियाँ	39,68,037.94
<b>भारत सरकार की प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)</b>	<b>53,67,988.99</b>
टिप्पणी: कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपे गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कुल राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 2,91,546.61 करोड़ शामिल है।	

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत बनाई गई भारत की संचित निधि में अन्य बातों के साथ साथ भारत सरकार द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व शामिल है। भारत की राजस्व प्राप्तियाँ कर और गैर-कर स्रोतों दोनों से प्राप्त होती हैं। कर राजस्व में मुख्य रूप से संघ सरकार द्वारा लगाए गए करों/शुल्कों से प्राप्त आय अर्थात् आय कर (कृषि आय के अतिरिक्त) और धन पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाओं पर कर इत्यादि शामिल हैं जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के तहत प्रविष्टियों द्वारा कवर होती है।

करों को मुख्य रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य रूप से उन व्यक्तियों जिन पर कर लगाया/आरोपित किया जाता है द्वारा सरकार को सीधे दत्त

<sup>1</sup> स्रोत: वि.व 2012-13 के संघ वित्त लेखे (अनंतिम)

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

करों को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इनमें आय कर, निगम कर, धन कर इत्यादि शामिल हैं।<sup>2</sup> दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर वह हैं जिनमें एक इकाई पर कर लगाया जाता है जबकि कर का भार किसी और इकाई पर पड़ता है।

### अप्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2 अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंधित है और इस अर्थ में यह व्यक्ति के बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए जाने वाले मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क नीचे सूचीबद्ध हैं;

क) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** यह शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84) वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं।

ख) **सीमा शुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से निर्यात होने वाले कुछ माल (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर यह शुल्क लगाया जाता है।

ग) **सेवाओं पर कर:** कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)।<sup>3</sup>

### सेवा कर

1.3 सेवा कर एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर एक कर है।<sup>4</sup> वित्त अधिनियम की धारा 66बी में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाना परिकल्पित है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में प्रदान या प्रदान करने की सहमति और जैसा कि निर्धारित किया गया

<sup>2</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, पृष्ठ 61 की तालिका 3.4 के नीचे टिप्पणी से पता चलता है कि व्यक्तिगत आय कर और निगम कर के अलावा, प्रत्यक्ष करों में व्यय, ब्याज, धन, उपहार और संपदा शुल्क से संबंधित कर शामिल हैं।

<sup>3</sup> संविधान (अठ्ठासीवां संशोधन) अधिनियम 2003, जिसे 15 जनवरी 2004 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी को सातवी अनुसूची की सूची 1 में 'सेवाओं पर कर' के अनुच्छेद 268ए, अनुच्छेद 270 को संशोधन और प्रविष्टि 92सी की प्रविष्टि प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तथापि, अधिनियम अभी लागू किया जाना है।

<sup>4</sup> कर व्यवसायियों का अखिल भारतीय संघ बनाम भारतीय संघ 2007(7) एसटीआर 625(एससी); तमिलनाडु कल्याण मंडपम एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2006(3) एसटीआर 260 (एससी)।

हो उसी तरीके से संग्रहित।<sup>5</sup> वित्त अधिनियम की धारा 65बी (44) में 'सेवा' को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए प्रतिफल हेतु की गई कोई भी गतिविधि (उसमें सम्मिलित नहीं की गई मदों के अलावा) के रूप में परिभाषित किया गया है और जिसमें एक घोषित सेवा सम्मिलित है।<sup>6</sup>

### संगठनात्मक ढांचा

1.4 वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (डीओआर) केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 के अधीन गठित एक सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में नियंत्रण रखता है। सीबीईसी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर सहित अप्रत्यक्ष कर के उदग्रहण और संग्रहण की देख-रेख करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर विभाग की समग्र कर्मचारी संख्या 73,814 है।<sup>7</sup> परिशिष्ट 1 सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा दर्शाता है।

1.5 23 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ज़ोनों में संबंधित मुख्य आयुक्तों के तहत 104 क्षेत्रीय आयुक्तालय कार्य करते हैं। इन आयुक्तालयों में से 77 (7 विशेष सेवा कर आयुक्तालय, 66 एकीकृत केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर आयुक्तालय और 4 बड़े करदाता इकाईयां आयुक्तालय) देश में सेवा कर के निर्धारण और संग्रहण में शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने सेवा कर से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए 1997 में महानिदेशक सेवा कर (डीजीएसटी) के रूप में एक अधीनस्थ कार्यालय का गठन किया है।<sup>8</sup>

### अप्रत्यक्ष कर राजस्व की वृद्धि

1.6 2012-13 के दौरान संघ सरकार के सकल कर राजस्व ने ₹ दस लाख करोड़ की सीमा रेखा को पार कर लिया। तालिका 1.2 (क) वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए जीडीपी और सकल कर राजस्व दोनों की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व को दर्शाती है।<sup>9</sup> 2012-13 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 4.69 था। इस प्रकार हाल ही के वर्षों में जीडीपी आँकड़े के मामले में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से की 5

<sup>5</sup> वित्त अधिनियम 2012 द्वारा धारा 66बी 1 जुलाई 2012 से समाविष्ट किया गया था, धारा 66डी में नकारात्मक सूची में शामिल मदों की सूची है।

<sup>6</sup> वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाओं की सूची है।

<sup>7</sup> मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2013 तक दिए गए आंकड़ें

<sup>8</sup> डीजीएसटी वर्तमान में मुम्बई से संचालित है।

<sup>9</sup> पीआईबी का प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय। 7 फरवरी 2014 का प्रेस नोट दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 के लिए जीडीपी के आँकड़े चालू बाजार मूल्य पर आधारित द्वितीय संशोधित अनुमान हैं और 2012-13 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान हैं जिसका आधार वर्ष 2004-05 है। आँकड़े लगातार सीएसओ द्वारा संशोधित किये जा रहे हैं और डेटा मैक्रो आर्थिक प्रदर्शन के साथ राजकोषीय प्रदर्शन की सांकेतिक तुलना के लिए है।

## 2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

प्रतिशत से कम रहने की प्रवृत्ति जारी है। जीडीपी में वि.व. 09 में ₹ 56.30 लाख करोड़ से बढ़ कर वि.व. 13 में ₹ 101.13 लाख करोड़ हो गई जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 09 से ₹ 2.70 लाख से बढ़ कर वि.व. 13 में ₹ 4.74 लाख करोड़ हो गये।

अप्रत्यक्ष करों में सकल कर राजस्व का हिस्सा वि.व. 10 में 39.29 प्रतिशत से वि.व. 13 में 45.80 प्रतिशत के बीच था।

**तालिका 1.2 (क) : राजस्व प्राप्तियां**

वर्ष	सकल कर राजस्व		जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व		करोड़ ₹
	(जीडीआर)	अप्रत्यक्ष कर राजस्व*		जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व	अप्रत्यक्ष कर राजस्व	में
वि.व.09	6,05,298	2,69,988	56,30,063	44.60		4.8
वि.व.10	6,24,527	2,45,373	64,77,827	39.29		3.79
वि.व.11	7,93,307	3,45,371	77,95,314	43.54		4.43
वि.व.12	8,89,118	3,92,674	90,09,722	44.16		4.36
वि.व.13	10,36,460	4,74,728	101,13,281	45.80		4.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार कर प्राप्तियों के आंकड़े; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

\*यहां प्रमुख अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के आंकड़े शामिल हैं।

### सेवा कर की वृद्धि - प्रवृत्ति और संरचना

1.7 तालिका 1.2 (ख) जीडीपी और सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर (एसटी) राजस्व को वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए दर्शाती है। इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में सेवा कर का हिस्सा 10.07 प्रतिशत से बढ़ कर 12.79 प्रतिशत हो गया। वि.व. 13 के दौरान सेवा कर राजस्व में 36 प्रतिशत के आस पास (2012-13 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित) वृद्धि हुई। 2012-13 के बजट में 2011-12 (आरई) की तुलना में सेवा कर से राजस्व में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। यह वर्तमान 10 प्रतिशत की कर दर से 12 प्रतिशत की वृद्धि पर और कर आधार में परिवर्तन पर आधारित था। सेवाओं की सूची में विस्तार की सामान्य परम्परा के विपरीत, 2012-13 के बजट में 1 जुलाई 2012 से एक 'नकारात्मक सूची' दृष्टिकोण प्रारंभ किया गया।<sup>10</sup> जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची के प्रारंभ के साथ नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी सेवाएं कराधान के अधीन हैं।

2012-13 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया सेवा कर राजस्व 1.31 प्रतिशत की ऊंचाई तक गया था।

<sup>10</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, पैरा 3.211


तालिका 1.2 (ख): सेवा कर राजस्व की वृद्धि

वर्ष	एसटी	पिछले वर्ष से वृद्धि की %	जीडीपी	जीडीपी के रूप में एसटी	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में एसटी
वि.व.09	60,941	-	56,30,063	1.08	6,05,298	10.07
वि.व.10	58,422	(-)-4.13	64,77,827	0.90	6,24,527	9.35
वि.व.11	71,016	21.56	77,95,313	0.91	7,93,307	8.95
वि.व.12	97,509	37.31	90,09,722	1.08	8,89,118	10.97
वि.व.13	1,32,601	35.99	101,13,281	1.31	10,36,460	12.79

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार हैं; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

### अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान

1.8 तालिका 1.3 वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों की वृद्धि पथ दर्शाती है। पाँच वर्षों की अवधि में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क राजस्व के अंश में समग्र गिरावट आई। तथापि, वि.व. 13 के दौरान बजट में परिवर्तन (2012-13) के कारण जीडीपी के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रतिशत अंश में वृद्धि दर्ज की गई है। वि.व. 11 से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर के अंश में बढ़ती प्रकृति दिखाई दी है। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष राजस्व योगदान चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

वर्ष	जीडीपी	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सीई राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीई राजस्व	एसटी राजस्व	जीडीपी के % के रूप में एसटी राजस्व
वि.व.09	56,30,063	99,879	1.77	1,08,613	1.93	60,941	1.08
वि.व.10	64,77,827	83,324	1.29	1,02,991	1.59	58,422	0.90
वि.व.11	77,95,313	1,35,813	1.74	1,37,701	1.77	71,016	0.91
वि.व.12	90,09,722	1,49,328	1.66	1,44,901	1.61	97,509	1.08
वि.व.13	101,13,281	1,65,346	1.63	1,75,845	1.74	1,32,601	1.31

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार हैं; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

## मुख्य योगदान करने वाली सेवा श्रेणियों से सेवा कर राजस्व

1.9 तालिका 1.4 मुख्य सेवा श्रेणियों से सेवा कर संग्रहण दर्शाती है। शीर्ष राजस्व अर्जक (बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, सहायक व्यवसाय सेवाएं, सामान्य बीमा प्रीमियम पर कर) के अलावा हाल ही में शुरू की गई सेवा कर श्रेणियाँ जैसे अचल संपत्ति किराए पर देना और निर्माण कार्य करार सेवाएं कुछ प्रमुख प्रदर्शन करने वाली श्रेणियां हैं। नीचे तालिका में सूचीबद्ध सेवा श्रेणियों के अलावा, सेवाएं जैसे आवासीय परिसर का निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और कंसल्टिंग इंजीनियर सेवाओं ने पिछले कुछ वर्षों में सेवा कर संग्रहण में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है।

तालिका 1.4: मुख्य सेवा वर्गों से सेवा कर

वर्ष	करोड़ ₹										
	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	व्यवसाय सहायक सेवाएं	सामान्य बीमा पर कर	व्यवसाय समर्थन सेवाएं	अचल संपत्ति का किराया	निर्माण कार्य करार	श्रमशक्ति भर्ती	अनुरक्षण और मरम्मत	सड़क द्वारा माल परिवहन	
वि.व.09	3,925.59	3,123.61	4,147.93	3,279.16	1,604.35	2,577.93	1,306.23	2,101.02	2,280.98	3,225.65	
वि.व.10	4,066.05	2,884.94	3,646.54	3,125.54	1,934.92	2,015.24	1,848.87	2,077.41	2,221.14	2,644.01	
वि.व.11	4,345.23	3,902.31	3,916.81	3,876.57	2,688.86	2,829.24	3,092.08	2,869.87	2,522.38	3,040.13	
वि.व.12	5,875.91	5,402.45	5,255.64	5,233.57	4,344.88	4,339.77	4,179.00	3,847.14	3,494.98	3,407.24	
वि.व.13	4,964.37	7,538.34	5,030.51	6,320.91	4,368.45	4,773.62	4,454.87	4,431.84	2,998.57	3,429.34	

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। वि.व. 13 के आंकड़े अंतिम वित्त लेखों के अनुसार हैं।

वर्तमान में वि.व. 13 से संबंधित लेखे 120 शीर्षों के प्रति राजस्व प्राप्तियां दर्शाते हैं (पूर्व के 119 वर्ग वार कोड के अलावा एक नया लेखा कोड 00441480 जिसका विवरण 'अन्य कर योग्य सेवाएं')। तथापि यह पाया गया कि जुलाई 2012 से प्रभावी नकारात्मक सूची प्रारंभ होने के बाद से और दिनांक 20 नवम्बर 2012 को सीबीईसी परिपत्र सं. 165/16/2012 के जारी होने तक, लेखांकन उद्देश्यों के लिए कोई विशिष्ट सेवा वर्ग नहीं थे। नकारात्मक सूची के तहत सेवा कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए सभी लेखे "सभी कर योग्य सेवाएं" - 00441089 शीर्ष के तहत थे।<sup>11</sup> इस प्रकार संबंधित वर्गों के वास्तविक योगदान पर पहुंचने के लिए वि.व. 13 के लिए संबंधित सेवा वर्ग शीर्षों के तहत आंकड़ों का समायोजन करना होगा।

<sup>11</sup> 6 जुलाई 2012 के परिपत्र 161/12/2012 द्वारा निर्धारित।

## सेवा कर प्राप्तियों की तुलना में प्रयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट

**1.10** सेवा कर के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग करने की सुविधा की शुरुआत करना।<sup>12</sup> कानून में बाद में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यथा समय माल और सेवाओं के बीच उपयोग को कवर करने के क्षेत्र का विस्तार हुआ जो प्रभावी रूप से सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों करों में सामन्जस्य स्थापित करने की दिशा में एक कदम होगा।

एक सेवा प्रदाता उसकी सेवा गतिविधियों से संबंधित इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर तथा इनपुट तथा/अथवा पूँजीगत वस्तुओं पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का लाभ ले सकता है और सेवा कर के भुगतान में लिए गए क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यक्तिगत बही खाते (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से नकद में प्रदत्त सेवा कर का विवरण दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: सेवा कर: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त सेवा कर		सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त सेवा कर		करोड़ ₹
	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सेवा कर
वि.व.09	60,941	18.79	18,457	72.30	30.29
वि.व.10	58,422	(-)4.13	25,880	40.22	44.30
वि.व.11	71,016	21.56	29,418	13.67	41.42
वि.व.12	97,509	37.31	13,536	(-)53.99	13.88
वि.व.13	1,32,601	35.99	5,507	(-)59.32	4.15

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।<sup>13</sup>

तालिका 1.5 दर्शाती है कि पिछले दो वर्षों में सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त सेवा कर की पीएलए (नकद) से प्रतिशतता में गिरावट आई है (तथापि, वि.व.13 के अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं)।

## सेवा कर में बजटीय मुद्दे

**1.11** तालिका 1.6 सेवा कर के संदर्भ में बजटीय आकलनों, संशोधित आकलनों तथा तदनुसूची वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के बीच तुलना प्रस्तुत करती है।

<sup>12</sup> सेवा कर क्रेडिट नियमावली, 2002 के माध्यम से जिसे बाद में बदलकर सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 किया गया था।


<sup>13</sup> दिनांक 9 जनवरी 2014 का मंत्रालय के पत्र द्वारा; वि.व.13 हेतु अंतिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं।

तालिका 1.6: सेवा कर - बजटीय आकलन, संशोधित आकलन तथा वास्तविक प्राप्तिया

वर्ष	बजट आकलन (बीई)	संशोधित आकलन (बीई)	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों तथा बीई के बीच अंतर	बीई की प्रतिशतता के अनुसार	वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित आकलन के बीच अन्तर	संशोधित आकलन की प्रतिशतता के अनुसार
वि.व.09	64,460	65,000	60,941	(-)3,519	(-)5.46	(-)4,059	(-)6.24
वि.व.10	65,000	58,000	58,422	(-)6,578	(-)10.12	422	0.73
वि.व.11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44	1,616	2.33
वि.व.12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2,509	2.64
वि.व.13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)96	(-)0.07

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्त बजट दस्तावेज। वि.व.13 के आंकड़े अनंतिम वित्त लेखे के अनुसार हैं।

तालिका 1.6 दर्शाती है कि वास्तविक प्राप्तियां वि.व.09 तथा वि.व.10 के दौरान बजट आकलन से कम थी। वि.व.10 का कर राजस्व बजट आकलन से 10.12 प्रतिशत कम हुआ। सेवा कर की दर में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कमी तथा समग्र आर्थिक मन्दी ने वि.व.09 में संग्रहित राजस्व की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत तक की नकारात्मक वृद्धि में योगदान दिया। पिछले तीन वर्षों (वि.व.11, वि.व.12 तथा वि.व.13) के दौरान संग्रहणों ने पुनः वृद्धि प्रवृत्ति दिखाई है। वि.व.13 में संग्रहण बजटीय आकलनों से लगभग 6.93 प्रतिशत तक अधिक हुआ। हमने हाल के वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बजटीय आकलन/संशोधित आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर को बजटीय आकलन/संशोधित आकलन की प्रतिशतता के रूप में चार्ट 1.2 में दर्शाया है। जैसाकि चार्ट दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान संशोधित आकलन से वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर कम था। वि.व.10 तथा वि.व.13 के दौरान अन्तर 1 प्रतिशत से कम था।



### सेवा कर प्रशासन में प्रणालीगत मुद्दे

1.12 हमने रियायत आदि के कारण परित्यक्त सेवा कर राजस्व से संबंधित आंकड़ों की मांग सीबीईसी से की।<sup>14</sup> प्रत्यक्ष कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य अप्रत्यक्ष कर के लिए तदनु रूप परित्यक्त राजस्व के विवरण को 2006-07 के आरंभिक

<sup>14</sup> वि.व.04 सं. वि.व.13 की अवधि के लिए मांगे गए आँकड़े।



बजट के साथ आरम्भ करके प्रत्येक वर्ष के बजट। द्वारा संसद के समक्ष रखा गया। सीबीईसी ने उत्तर दिया कि सेवा कर के संदर्भ में आँकड़े को निम्नलिखित सीमा के कारण अनुरक्षित नहीं रखा जा रहा है:<sup>15</sup>

क) “30 जून 2012 तक, कराधान के लिए केवल विशेष सेवाएं उत्तरदायी थीं। तकनीकी रूप से कराधान के लिए अन्य सेवाएं उत्तरदायी नहीं थीं। जुलाई 2012 के पश्चात्, नकारात्मक सूची के अलावा अन्य सभी सेवाओं के लिए कराधान देय है। नकारात्मक सूची में कई सेवाएं ऐसी प्रविष्टियां जो संविधान में संघ के अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आती अथवा जिन पर प्रशासनात्मक कारणों के लिए कराधान नहीं लगाया जा सकता, से संबंधित थी (क्योंकि ऐसी सेवाओं अर्थात् वित्त सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करना संभव नहीं है)। इस प्रकार, इन सेवाओं में सम्मिलित राजस्व को परित्यक्त राजस्व नहीं कहा जा सकता है।

ख) वर्तमान में, सभी सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर पर एकसमान कराधान है। सेवा भाग को आकर्षित करने हेतु कुछ कमी जो रियायत अधिसूचना के माध्यम से दी जाती है, संविधान के अनुसार माल तथा सेवा दोनों की दर सहित संयोजन करार में अनिवार्य है (उदाहरणार्थ कार्य करार, खाद्य तथा केटरिंग)। बहुत सी अन्य रियायत जैसे परिवहन के मामले में लागत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सुविधा के लिए दी गई है। इस प्रकार, इन्हें परित्यक्त राजस्व के रूप में व्यवहारित नहीं किया जा सकता है।

ग) सेवा के मामले में, उन क्षेत्रों जहां कुछ रियायतों को मंजूरी दी गई है, के संदर्भ में सेवा आबंटन के आंकड़े उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण सीमा है।”

हमने पाया कि यह उत्तर पर्याप्त आँकड़े के अभाव में सेवा कर के लिए परित्यक्त राजस्व आँकड़े के अनुरक्षण न होने के तथ्य पर मंत्रालय की स्वीकृति दर्शाता है, के अलावा यह भी सूचित किया जा सकता है कि मंत्रालय कर अन्तर विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है। मंत्रालय को सेवा कर के परित्यक्त राजस्व आँकड़े के आकलन के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदर्भ में, इसका दृष्टिकोण एसीईएस से आँकड़े का बर्हिवेशन करना है (क्षेत्र आधारित रियायत योजना के संचालन के कारण परित्यक्त शुल्क को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन से पृथक रूप से प्राप्त करना तथा जमा करना है)।<sup>16</sup>

<sup>15</sup> दिनांक 7 जनवरी 2014 का सीबीईसी का पत्र।

<sup>16</sup> वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त बजट का परिशिष्ट 12 तथा “परित्यक्त राजस्व का विवरण” 2013-14 बजट के दौरान संसद को प्रस्तुत किया।

## निर्धारिती आधार

**1.13** वित्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65(7) में वर्णित के अनुसार, “निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सेवा शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है तथा इसमें उसके एंजेट भी शामिल है।

**तालिका 1.7** वित्त अधिनियम की धारा 69 के तहत सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े (वि.व.09 से वि.व.13 तक से संबंधित) दर्शाती है। इसमें दर्शाए गए आंकड़े अक्टूबर 2013 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े के अनुसार है।

**तालिका 1.7: सेवा कर में कर आधार**


वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	एसटी पंजीकरण की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी भरी है
वि.व.09	106	12,26,100	-	7,641
वि.व.10	109	13,39,812	9.27	55,405
वि.व.11	117	14,94,449	11.54	1,79,344
वि.व.12	119	16,76,105	12.16	7,06,535
वि.व.13	*	18,71,939	11.68	6,08,013

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े<sup>17</sup>।

\*01.07.2012 से प्रभावी, कुछ अपवर्जन/अपवादों को छोड़कर अधिकतर गतिविधियाँ एसटी के प्रति दायी है।

**तालिका 1.7** दर्शाती है कि वि.व.09 से वि.व.13 तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ी थी। आँकड़े संकेत देते हैं कि वि.व. 2012 तक सांविधिक विवरणी भरने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी। तथापि, वि.व.13 में पिछले वर्ष के आँकड़े की तुलना में विवरणी भरने वाले निर्धारितियों की संख्या में लगभग 1 लाख तक की कमी हुई। इसके अलावा, वि.व.13 में पंजीकृत व्यक्तियों में से केवल 33 प्रतिशत ने विवरणी भरी थी। चार्ट 1.3 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों पर स्थिति को दर्शाता है।

मंत्रालय को विवरणी भरने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की कम प्रतिशतता के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। निर्धारिती जिन्होंने वि.व.13 के दौरान विवरणी भरी है, की संख्या में तेजी से गिरावट आना विशेष चिंता का विषय है।



<sup>17</sup> दिनांक 11 अक्टूबर 2013 का सीबीईसी पत्र देखें। 2013 की एआर संख्या 17 के लिए प्रस्तुत आँकड़ों के साथ आँकड़ों का समेकन प्रतीक्षित है।

इसके अलावा, मंत्रालय को केवल व्यक्तियों जिन्होंने धारा 69 के तहत पंजीकरण लिया है अथवा व्यक्तियों जिन्होंने धारा 70 के तहत विवरणी भरी है, की संख्या के अलावा वित्त अधिनियम की धारा 65(7) में वर्णित के अनुसार निर्धारितियों की संख्या प्राप्त करने/अनुमान लगाने के साधन पर विचार करने की आवश्यकता है।

### सेवा कर आधार का विस्तार-आयुक्तालय में विशेष सेल का निर्माण

**1.14** राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कर आधार के विस्तार की आवश्यकता है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ती निर्भरता के साथ, व्यक्तियों जो कर भुगतान के उत्तरदायी तो थे परन्तु भुगतान करने से बचे थे, की पहचान करने के लिए विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचना के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उन्हें कर के दायरों में लाया जा सके जिसके फलस्वरूप कर आधार का विस्तार हो।

सेवा कर के महानिदेशक ने कार्रवाई योजना तैयार की तथा इसे 26 मई 2003 को मुख्य आयुक्तों को वितरित किया। योजना के अनुसार येलो पेजिज, समाचार पत्रों के विज्ञापन, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण तथा वेबसाइट, नगर निगमों से सूचना तथा पीएसयूज और निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न सेवाओं से संबंधित आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से अपंजीकृत सेवा प्रदाता पर जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र संरचना के लिए आवश्यक है। इसके बाद, सीबीईसी ने संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए प्रत्येक आयुक्तालय में एक विशेष सेल बनाने के निर्देश जारी किए।<sup>18</sup> **तालिका 1.8** आयुक्तालयों में विशेष सेल बनाने की स्थिति को दर्शाती है।

**तालिका 1.8: आयुक्तालयों में विशेष सेल बनाने की स्थिति**

31 मार्च 2014 तक निर्मित विशेष सेल की संख्या	विशेष सेल के निर्माण से नए एसटी पंजीकर्ताओं की संख्या	विशेष सेल द्वारा आरंभिक पहचान पर आधारित कॉलम (2) में से पंजीकरण
कॉलम (1)	कॉलम (2)	कॉलम (3)
96	61,163	8,401

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।<sup>19</sup>

यह पाया गया कि यद्यपि सेवा कर कार्य करने वाले सभी आयुक्तालयों में विशेष सेल बनाया गया है तथापि, सम्बंधित कम संख्या के व्यक्तियों का पंजीकरण विशेष सेल की भूमिका के सहयोग से हुआ है।

<sup>18</sup> दिनांक 23 नवम्बर 2011 का सीबीईसी का निर्देश द्वारा।

<sup>19</sup> दिनांक 7 जनवरी 2014 का सीबीईसी पत्र द्वारा।

## सेवा कर में कर प्रशासन

### सामरिक योजना को अंतिम रूप देना

**1.15** सीबीईसी ने आगामी 5 वर्षों के लिए अपनी सामरिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्वयं एक लक्ष्य तिथि (15 दिसम्बर 2013) तय की।<sup>20</sup> सामरिक योजना को अभी मंजूरी मिलना शेष है। जैसाकि सामरिक योजना अपने मिशन के साथ-साथ अपने बताए दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सीबीईसी (तथा संगठनों) की प्रगति का मार्गदर्शन करेगी, इस दिशा में सम्मिलित प्रयास किए जाने आवश्यक है।

### विवरणियों की संवीक्षा

**1.16** सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्व. निर्धारण की धारणा प्रारंभ की। स्व निर्धारण प्रारंभ होने के साथ, विभाग ने एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र के साथ-साथ विवरणी की संवीक्षा के माध्यम से प्रावधान की परिकल्पना की। यहां तक कि स्व निर्धारण काल में भी, विभागीय अधिकारियों का प्राथमिक कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की सुनिश्चिता को जारी रखना है क्योंकि ये वे हैं जिन पर कर भुगतान की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए वैदयानिक दायित्व है।<sup>21</sup> इसे सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिन्हें जोखिम मानदण्डों के आधार पर चयनित किया जाता है। सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009 में परिकल्पित है कि संवीक्षा दो स्तरों अर्थात विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा जिसे एसीईएस (केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन) द्वारा किया जाता है तथा निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जिसे एसीईएस अथवा अन्य द्वारा चिन्हित विवरणी पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।

### विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा

**1.17** प्रारंभिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी को समय पर जमा करना, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगठित राशि की गणितीय शुद्धता को सुनिश्चित करना तथा नान फाइलरों और स्टोप फाइलरों की पहचान करना है।<sup>22</sup> सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों पर आधारित, हमने **तालिका 1.9** में विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा करने में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाया है।

<sup>20</sup> 2012-13, खण्ड 2 तथा 3 के लिए आरएफडी।

<sup>21</sup> सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009, पैरा 1.2.1ए।

<sup>22</sup> सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009, पैरा 1.2.1।

तालिका 1.9: सेवा कर विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस* में विवरणी भरने वाली की संख्या	आर एंड सी हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आर एंड सी हेतु विवरणियों का %	आर एंड सी के पश्चात् भरी विवरणियों की संख्या	आर एंड सी हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	संशोधन के लिए लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि.व.11	1,39,431	1,12,302	80.54	22	1,12,280	99.9
वि.व.12	9,09,718	7,00,066	76.95	83,664	6,16,397	88
वि.व.13	22,42,332	18,42,137	82.15	3,67,256	14,74,874	80

\*संबंधित वर्ष की 31 मार्च तक।

हमने पाया कि वि.व.11 से वि.व.13 की अवधि के दौरान 75 से 83 प्रतिशत की प्रतिशतता दर के मध्य प्रत्येक वर्ष एसीईएस द्वारा संवीक्षित मामलों समीक्षा तथा संशोधन के लिए चिन्हित है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक समीक्षा तथा संशोधन के लिए अभी तक लंबित चिन्हित विवरणियों की संख्या में तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है कि सेवा कर विवरणी की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्टूबर 2011 से क्रियान्वित किया गया था तथा इसलिए एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2012-13 तक स्थिर हो जाना चाहिए था।<sup>23</sup> ऑनलाइन प्रारंभिक संवीक्षा को शुरू करने की पीछे मुख्य धारणा में से एक विस्तृत व्यक्तिगत रूप से संवीक्षा जो तब रेंज/ग्रुप का मुख्य कार्य बन सकता था, के लिए मानवशक्ति निकालना था।<sup>24</sup> आर एंड सी पहचान के पश्चात् सुधार हेतु लंबित अधिक आँकड़े दर्शाते हैं कि यह उपलब्धि से कोसों दूर है।

समीक्षा तथा सुधार (आर एंड सी) के लिए संवीक्षित विवरणियों की बहुत अधिक प्रतिशतता को छोड़ दिया गया तथा परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्यवाही के बिना लंबित विवरणियों की अधिक संख्या एसीईएस में कमियों को दर्शाती है, जिस पर विभाग को तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

### सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

**1.18** विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता सुनिश्चित करना तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना, वर्गीकरण तथा रियायत अधिसूचना आदि की स्वीकृति लेने के पश्चात् लागू कर की प्रभावी दर को सुनिश्चित करना है।<sup>25</sup> प्रारंभिक संवीक्षा के विपरीत विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा भरी गई विवरणी में प्रस्तुत

<sup>23</sup> दिनांक 25.8.2011 की राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 43/2011-एसटी द्वारा।

<sup>24</sup> सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मैनुअल, 2009, पैरा 1.2 बी।

<sup>25</sup> सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मैनुअल, 2009, पैरा 1.2.1।

सूचना से विकसित जोखिम मानदण्डों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करती हैं।<sup>26</sup>

सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों पर आधारित तालिका 1.10 में हमने विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाया है।

तालिका 1.10: सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	31 मार्च तक विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित तथा विवरणी	31 मार्च तक 6 माह से अधिक के लिए विस्तृत संवीक्षा हेतु लंबित विवरणी	लंबन का समयवार विश्लेषण		
			6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्षों के बीच	>2 वर्ष
वि.व.11	6,232	4,046	3,550	351	145
वि.व.12	11,425	8,045	5,667	1,959	419
वि.व.13	23,838	21,095	19,791	934	370

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

तालिका 1.10 विस्तृत संवीक्षा के संदर्भ में लंबन को दर्शाती है। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, केवल 2 प्रतिशत विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा में जांच की आवश्यकता है।<sup>27</sup> तथापि, किसी रेंज के संदर्भ में एक वर्ष में संवीक्षित विवरणियों की कुल संख्या बहुत कम होगी (देश में सभी रेंजों में लंबित कुल संख्या 31 मार्च 2013 तक केवल 23,838 थी)। यह चिन्ता का कारण है कि 2 वर्ष से अवधि के लिए लंबित कुछ चयनित विवरणियां हैं। धोखाधड़ी के समान मामलों जैसे निश्चित प्रकार के मामलों के अलावा, निर्धारित द्वारा विवरणी भरने की तिथि से 18 माह के बाद एक निर्धारित को मांग नोटिस जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।<sup>28</sup> यह आवश्यक है कि विभाग को दीर्घ लंबन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सरकार को सुनिश्चित राजस्व पर्याप्त रूप से रक्षित हो।

हमने यह भी पाया कि क्षेत्रीय आयुक्तालय द्वारा डीजीएसटी, मुम्बई को भेजी जा रही मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) के अनुबंध XII-बी में निर्धारित प्रारूप में केवल 'विवरणी की संवीक्षा' है तथा पृथक रूप से प्राथमिक और विस्तृत संवीक्षा नहीं है। विवरणी की संवीक्षा पर एमटीआर अनुबंध के प्रारूप को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि डीजीएसटी द्वारा अनुपालन सत्यापन के इस महत्वपूर्ण तत्व की सार्थक मॉनीटरिंग की सुविधा हो। संबंधित एमटीआर अनुबंध के प्रारूप तथा विस्तृत संवीक्षा के संदर्भ में एक अधिकार के साथ

<sup>26</sup> दिनांक 23 अप्रैल 2009 के सीबीईसी परिपत्र संख्या 113/7/2009।

<sup>27</sup> सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मैनुअल, 2009, पैरा 4.2 ए।

<sup>28</sup> 28.5.2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम द्वारा '1 वर्ष' के स्थानापन्न के लिए वित्त अधिनियम की धारा 73(1) में '18 माह'।

समेकित आँकड़े की अनुलब्धता से सेवा कर के संदर्भ में प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा के बीच अन्तर स्पष्ट करने वाले विभाग के अन्दर एक प्रवृत्ति का पता लग सकता है। यह देखना है कि अप्रैल 2009 में, सेवा कर के लिए विवरणी संवीक्षा मेनुअल प्रचारित करते समय सीबीईसी ने मुख्य रूप से संवीक्षा को प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा दो भागों में द्विभाजित किया। सीबीईसी ने अनुभव किया कि प्राथमिक संवीक्षा की आनॅलाइन सुविधा कुशलता को बढ़ाएगी तथा व्यक्तिगत रूप से विस्तृत संवीक्षा जो तब रेंज/ग्रुप का मुख्य कार्य बन सकता है, के लिए श्रमशक्ति देगी।<sup>29</sup>

हमने पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 1.88 में बताए अपने मुद्दे को पुनः दोहरा रहे हैं कि अधिक राजस्व वाली इकाईयों (इस रिपोर्ट के पैरा 1.19, 3.7 तथा 3.8 देखें) की कवरेज में भारी कमी के साथ मिलकर विस्तृत संवीक्षा में वर्तमान में जांच की गई कम प्रतिशतता एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है।<sup>30</sup>

### विभाग द्वारा निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

**1.19** भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात् वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रति व्यवसायिक रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की मॉनीटरिंग। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/संभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय आयुक्तालय लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेयर करते हैं। यद्यपि लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, अनुपालन तथा विश्लेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा क्लाइंट की संतुष्टि के स्तर को आँकने के लिए निदेशालय उत्तरदायी है तथापि, आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमावली, जोखिम प्रबंधन नियमावली तथा ईए 2000 में प्रशिक्षित लेखापरीक्षकों के लिए नियमावली तथा सीएएटीज़ जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत

<sup>29</sup> सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009, पैरा 1.2 बी।

<sup>30</sup> 2013 की एआर संख्या 17, पैरा संख्या 1.88, पेज 27।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)


प्रक्रिया निर्धारित करता है, के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली। हमने लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा (वि.व.13 के दौरान) के लिए देय सेवा कर इकाईयों के विवरण को तालिकाबद्ध (तालिका 1.11) किया है।

तालिका 1.11 वि.व.13 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा-सेवा कर

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	देय इकाईयों की संख्या	योजनित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (%)*
> ₹ 3 करोड़ एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग ए)	3,553	2,561	1,797	49
₹ 1 तथा ₹ 3 करोड़ के बीच एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग बी)	3,098	2,625	1,560	50
₹ 25 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग सी)	4,968	3,592	2,574	48
> ₹ 25 लाख एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग डी)	71,946	10,346	8,007	89

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े। \* लेखापरीक्षित इकाई के साथ देय लेखापरीक्षा की संख्या की तुलना करके लेखापरीक्षा में कमी निकाली गई है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वि.व.13 के दौरान, इकाईयों के सभी वर्गों में देय लेखापरीक्षा की तुलना में की गई सेवा कर लेखापरीक्षा में अधिक कमी थी। वि.व.13 में वर्ग ए इकाईयों (अनिवार्य इकाइयां) तथा वर्ग बी इकाईयों (अधिक राजस्व वाली गैर-अनिवार्य इकाइयां) में लगभग 50 प्रतिशत की कमी थी। इस प्रकार, पिछले वर्ष से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।<sup>31</sup> विभाग ने वर्ग डी



<sup>31</sup> 2013 की एआर संख्या 17, पैरा 1.83, पेज 26।



की 8,007 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जबकि वर्ग ए तथा वर्ग बी के क्रमशः 1,756 तथा 1,538 इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की गई। योजनित तथा लेखापरीक्षित इकाईयों (सभी वर्गों को एक साथ रखकर 27 प्रतिशत कमी) के बीच अधिक अन्तर चिंता का विषय है चूँकि यह योजना की असक्षमता को दर्शाता है।

**चार्ट 1.4** वि.व.13 में निश्चित, योजनित तथा संचालित लेखापरीक्षाओं की स्थिति दर्शाता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित वर्ग ए इकाईयों की संख्या में भारी कमी (49 प्रतिशत) सूचित करती है कि सेवा कर इकाईयों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में, सीबीईसी का प्रदर्शन 2012-13 के लिए इसके आरएफडी दस्तावेज में सबसे कम लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य से भी कम है (60 प्रतिशत उपलब्धि को अपर्याप्त के रूप में लिया जाता है)।<sup>32</sup>

2013 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एआर संख्या 17 के पैरा 1.82 के एटीएन द्वारा मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड ने अनिवार्य इकाईयों की कीमत पर गैर-अनिवार्य इकाईयों की अधिक संख्या में लेखापरीक्षा के चलन को कम करने के लिए दिनांक 16 मार्च 2012 के पत्र में मुख्य आयुक्तों को निर्देश जारी किए थे।

### अंतिम मूल्यांकन के मामलों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

**1.20** सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(4) में अनुबंधित है कि जहां एक निर्धारित सेवा कर की देय योग्य वास्तविक राशि को जमा करने की तिथि पर सही रूप से आकलित करने में असमर्थ है, वहां वह अंतिम आधार पर सेवा कर के भुगतान की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त जैसा भी मामला हो, को अनुरोध कर सकता है। मूल्यांकन के ऐसे मामलों में अंतिम मूल्यांकन के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों उन्हें छोड़कर जो बांड के कार्यान्वयन से संबंधित है, के प्रावधान लागू होंगे।

**तालिका 1.12** पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम मूल्यांकन मामलों के लंबन के विवरण को दर्शाती है।

**तालिका 1.12 अंतिम मूल्यांकन के मामलों का लंबन**

वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों	सम्मिलित राजस्व	लंबन का समयवार वर्गीकरण				करोड़ ₹
			6 माह से कम	6-12 माह	1-5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक	
वि.व.11	33	2338.89	3	2	18	10	
वि.व.12	24	2346.75	1	2	11	10	
वि.व.13	26	2032.54	2	5	10	9	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

<sup>32</sup> 2013-13 के लिए सीबीईसी का आरएफडी, खण्ड 2, पेज 5।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि सेवा कर में 31 मार्च 2013 तक निपटान हेतु केवल 26 अनंतिम मूल्यांकन मामले थे। तथापि, यह चिंता का विषय है कि 5 वर्षों से अधिक के लिए लंबित मामलों की संख्या कुल संख्या के 34.6 प्रतिशत है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले मामलों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं थी। यद्यपि, सामान्य नियम यह है कि अनंतिम मूल्यांकन के सभी मामलों को अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए<sup>33</sup> तथापि नियम के परन्तुक अनुसार दिखाए गए पर्याप्त कारकों तथा लिखित में दर्ज कारणों के साथ आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष तक/आगे ऐसे समय जो भी उचित समझा जाए, के लिए विस्तारण दिया जा सकता है।

### अपवंचन रोधी

**1.21** सेवा कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालयों एवं डीजीसीईआई दोनों की सु-परिभाषित भूमिकाएँ हैं। जहाँ आयुक्तालय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति तथा उनके क्षेत्राधिकार में इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डॉटाबेस के साथ कर अपवंचन के विरुद्ध प्रथम सुरक्षा पंक्ति हैं, वहीं डीजीसीईआई महत्वपूर्ण राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना के संग्रह में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस प्रकार संग्रहीत आसूचना आयुक्तालयों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय असर वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जाँच भी की जाती है।

**तालिका 1.13 (क) तथा 1:13 (ख)** डीजीसीईआई तथा आयुक्तालयों के पिछले तीन वर्षों से संबंधित प्रदर्शन को दर्शाती हैं। हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परिचयन के मामलों के संबंध में अनुरूपी आँकड़े भी दर्शाये हैं।

**तालिका 1.13 (क): डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी प्रदर्शन**

वर्ष	करोड़ ₹					
	परिचयन				जाँच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान	
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर
	सं.	राशि	सं.	राशि	राशि	राशि
वि.व.11	732	1,355.65	458	4,352.12	137.19	293.94
वि.व.12	450	1,139.63	452	4,919.03	255.23	433.84
वि.व.13	458	2,940.22	835	5,131.23	1,018.96	880.08

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े।

<sup>33</sup> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 7।

तालिका 1.13 (ख): आयुक्तालयों का अपवंचन रोधी प्रदर्शन

वर्ष	परिचयन				जाँच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान	
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर
	सं.	राशि	सं.	राशि	राशि	राशि
वि.व.11	2,854	5,564.47	2,959	4,200.03	711.31	894.36
वि.व.12	2,877	2,787.98	3,403	6,747.63	965.17	823.23
वि.व.13	2,150	3,415.29	5,875	7,826.61	482.48	2,818.71

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े।

अपने जोनल कार्यालयों सहित डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए सेवा कर मामलों तथा राशियों की संख्या 2011-12 तथा 2010-11 में पता लगाए गए मामलों की संख्या की तुलना में 2012-13 के दौरान उल्लेखनीय ढंग से बढ़ी है। सेवा कर अपवंचनों के संबंध में पता लगाई गई राशि 2012-13 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पता लगाई गई राशि के दोगुने से ज्यादा थी।

आयुक्तालयों में भी स्थिति समान ही थी क्योंकि तीन वर्षों की अवधि के दौरान सेवा कर अपवंचन के परिचयन में अविरल विकास हुआ था। सेवा कर में पता लगाई गई राशियाँ 2012-13 तथा 2011-12 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुरूपी आँकड़ों के दोगुने से अधिक थीं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के डीजीसीईआई के परिचयनों को एक साथ देखा जाए तो 3-वर्षीय अवधि में पता लगाई गई राशियों के संबंध में एक अविरल वृद्धि बनी हुई है। (वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 5,707.77 करोड़, ₹ 6,058.66 करोड़ तथा ₹ 8,071.45 करोड़); परिचयनों की संख्या 2011-12 में एक गिरावट से गुजरने के बाद 2010-11 में 1,190 की तुलना में 2011-12 में 902 से 2012-13 में 1,293 तक बढ़ गई थी।

समान रूप से, आयुक्तालयों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर परिचयनों की तुलना करते समय हमने देखा कि पता लगाए गए मामलों की संख्या तीन वर्ष की अवधि में निरंतर बढ़ी थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में पता लगाई गई राशियाँ भी 2012-13 में ₹ 11,242 करोड़ तक बढ़ गई थी।

### संग्रह की लागत

1.22 हमने तालिका 1.14 में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संग्रह के अनुरूपी आँकड़ों के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के संग्रह में वहन किये गए व्यय को दर्शाया है। मंत्रालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संबंध में लागत के आँकड़ों का विभाजन उपलब्ध नहीं करा सका।

तालिका 1.14: संग्रह की लागत


वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ	सेवा कर प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	संग्रह की लागत	प्रप्तियों के % के रूप में संग्रह की लागत
वि.व.11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व.12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,262	0.94
वि.व.13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,446	0.79

स्रोत: प्रप्तियों के लिए आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तलेखाओं से हैं; वि.व. 13 का डाटा अनंतिम आँकड़ों पर आधारित है; संग्रह की लागत के आँकड़े मंत्रालय से हैं।

आईसीटी के स्वचालन तथा व्यापक प्रयोग के होते हुए भी, संग्रह की लागत निरपेक्ष पद में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है। यद्यपि प्रप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित की गई, संग्रह की लागत जो लगभग 1 प्रतिशत (वि.व. 11 एवं वि.व. 12 के लिए आँकड़े) होती थी, 2012-13 में 0.79 तक गिर गई थी। 2012-13 के लिए संग्रह की लागत प्रतिशत में प्रत्यक्ष करों के लिए संग्रह की लागत के आँकड़ों के साथ तुलनीय है जो सामान्य रूप से 0.75 प्रतिशत से कम है।<sup>34</sup>

## प्रतिदाय

1.23 निर्यात की गई सेवाओं पर भुगतान किये गए करों तथा निर्यात में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गए करों का प्रतिदाय वि.व. 05 में आरंभ किये गए प्रावधानों के माध्यम से संभव हो गया। बाद में किये गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप सेवाओं (वि.व. 06) के निर्यात पर इनपुटों पर भुगतान किये गए करों के प्रतिदाय के साथ माल के निर्यात में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गए करों की प्रतिपूर्ति को कवर करने के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है। हमने तालिका 1.15 (क) में वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा आबंटित प्रतिदायों को तालिका बद्ध किया है।<sup>35</sup>



<sup>34</sup> 2011-12 की सी एवं एजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 27, पैरा 1.5.4, पेज 15।

<sup>35</sup> प्रतिदाय वित्तलेखाओं में उपशीर्ष (ग) के तहत दर्शाये गये हैं - लघु शीर्ष के तहत प्रतिदाय कटौती प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए 0044 के तहत खोले गए हैं।

तालिका 1.15(क): सेवा कर में प्राप्तियाँ एवं प्रतिदाय

वर्ष	सेवा कर प्राप्तियाँ	प्रतिदाय	करोड़ ₹
			सेवा कर राजस्व का % के रूप में प्रतिदाय
वि.व.09	60,941	169.04	0.28
वि.व.10	58,422	606.56	1.04
वि.व.11	71,016	520.12	0.73
वि.व.12	97,356	1,327.56	1.36
वि.व.13	1,32,601	1,615.52	1.22

\*स्रोत: संघ वित्त लेखा से एसटी प्राप्तियाँ; वि.व. 13 के आंकड़े अनंतिम डाटा पर आधारित हैं। प्रतिदाय के लिए आंकड़े प्र.सीसीए, सीबीईसी से हैं।

तालिका दर्शाती है कि दर्शायी गई अवधि (वि.व. 09 से वि.व. 13) के दौरान, प्रत्येक वर्ष कुल प्रतिदाय सेवा कर प्राप्तियों के 2 प्रतिशत तक था। चार्ट 1.5 भी चित्रित रूप से समान स्थिति दर्शाता है।

### प्रतिदाय दावों का निपटान

1.24 तालिका 1.15 (ख) विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति को दर्शाती है। दर्शाया गया विलम्ब दावों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक सभी विवरणों के साथ प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तिथि से लिए गए समय के रूप में है।

तालिका 1.15(ख): सेवा कर में प्रतिदाय दावों का निपटान

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त ओबी प्लस दावे	वर्ष के निपटानों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या				करोड़ ₹		
			3 मास में एवं निपटानों का %	< 3 महीने	< 3 से 6 महीने	< 6 महीने से एक वर्ष	> 1 वर्ष	ब्याज भुगतान	मामलों की संख्या
वि.व.11	27,156	17,477	13,440 (77%)	762	784	772	1,719(10%)	0	0
वि.व.12	27,120	18,306	13,209 (72%)	672	465	568	3,392 (8%)	2	0.02
वि.व.13	26,672	15,897	12,328 (77%)	855	717	308	1,689 (11%)	1	0.12

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

डाटा दर्शाता है कि सेवा कर से संबंधित प्रतिदाय दावों के निपटान का लगभग 75 प्रतिशत 3 महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर किया गया है।<sup>36</sup> हमने देखा कि वि.व. 13 में ₹ 0.12 करोड़ राशि के ब्याज का केवल एक मामले के संबंध में भुगतान किया गया था (वि.व. 12 में 2 दावों के संबंध में भुगतान किया गया कुल ब्याज ₹ 0.02 करोड़ था)। तथापि, यह कि विभाग प्रतिदाय आवेदनों (मामलों के कम से कम 10 प्रतिशत के संबंध में 1 वर्ष से अधिक) के लगभग 25 प्रतिशत के निपटान हेतु 3 महीने से अधिक समय ले रहा था, कर दाता सेवाओं के संबंध में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं दर्शाता। चूँकि प्रतिदाय दावों का समयबद्ध निपटान सीबीईसी के मुख्य उद्देश्यों, अर्थात्, करप्रदाता सेवाओं में सुधार, को पूरा करने की तरफ 2012-13 के लिए इसके आरएफडी में इसके द्वारा चिन्हित कार्यवहियों में से है, यह आवश्यक है कि बोर्ड प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया हेतु सभी अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद विलम्ब हेतु कारणों का विश्लेषण करे।

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.15(ग) में वि.व. 11, वि.व. 12 तथा वि.व. 13 के मार्च 31 को 3 महीने से अधिक से निपटान हेतु लंबित प्रतिदाय मामलों का एक अवधि-वार विश्लेषण दर्शाया है।

तालिका 1.15(ग): 31 मार्च को एसटी प्रतिदाय मामलों की अवधि वार विचाराधीनता

वर्ष	वर्ष के प्राप्त ओबी प्लस दावे	31 मार्च को 3 महीने से अधिक से लम्बित प्रतिदाय दावे		लम्बित प्रतिदाय दावे					
		संख्या	राशि	3 महीने एवं 180 दिनों के मध्य		180 दिनों से 1 वर्ष के मध्य		1 वर्ष से अधिक	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि.व.11	24,385	6,908 (28%)	30,941.21	2,675	7,729.55	1,186	10,162.60	3,047	13,049.06
वि.व.12	24,412	6,104 (25%)	60,756.81	2,889	25,907.33	1,387	20,283.33	1,828	14,566.15
वि.व.13	23,803	7,906 (33%)	41,874.26	3,970	19,259.61	1,854	10,758.42	2,082	11,856.23

\*3 महीने तक लम्बित मामलो (जैसा 31 मार्च को) को छोड़ कर।

डाटा दर्शाता है कि 3 महीने (जैसा 31 मार्च को) से अधिक के लिए प्रतिदाय दावों का लम्बित निपटान 2013 में बढ़ा है। यद्यपि, लम्बित दावे विलम्ब अवधियों की सभी श्रेणियों में बढ़े हैं, तथापि लम्बित दावों से संबंधित राशि सभी श्रेणियों में घटी है; यह विभागीय अधिकारियों द्वारा उच्च मूल्य दावों के निपटान को प्रदान की गई उच्च प्राथमिकता का संकेत हो सकती है।

<sup>36</sup> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बीबी वित्त अधिनियम, 1994 (जैसा संशोधित) की धारा 83 द्वारा सेवा कर पर लागू की गई है।

## प्रतिदायों पर ब्याज का लेखांकन

1.25 हमारी पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने देखा था कि देर से हुए प्रतिदाय आवंटनों पर भुगतान किये गए ब्याज को लेखाओं में गलत तरीके से राजस्व में कमी के रूप में दर्शाया गया था।<sup>37</sup> मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि प्रतिदायों पर भुगतान योग्य ब्याज के मामले को व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए तथा पारदर्शिता हेतु संसद को सूचित किया जाना चाहिए। इसने और कहा कि मामला सीबीडीटी के साथ चर्चा के अन्तर्गत था तथा दोनों बोर्डों का एक समान विचार होगा। तत्पश्चात्, दिनांक 11 फरवरी, 2014 के अपने एटीएन द्वारा, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया कि प्रतिदाय पर भुगतान किया गया ब्याज एक वैधानिक उत्तरदायित्व है जो प्रकृति स्वरूप गैर-विवेकाधीन है तथा अनुदान अथवा विनियोग के उद्देश्य से व्यय कहलाने योग्य नहीं है जिस पर संविधान का अनुच्छेद 114 लागू होता है।<sup>38</sup>

यद्यपि, हमने देखा कि संसदीय लेखा समिति (2013-14) ने 66वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही उत्तरों पर आधारित “वित्त मंत्रालय द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन: संसदीय अनुमोदन के बिना प्रतिदायों पर ब्याज पर वहन किया गया व्यय” पर अपनी छियान्वेवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) में अपनी पिछली सिफारिश को दोहराया कि वित्त मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया निर्धारित करे ताकि कर प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान हेतु माँग में दर्शाया जाए तथा संसदीय अनुमोदन प्राप्त करे जैसा कि संविधान द्वारा आदेशित है।<sup>39</sup> पीएसी ने आगे कहा कि राजस्व विभाग के पास कर प्रतिदायों के ब्याज भुगतान हेतु से पूर्व या कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं है।<sup>40</sup>

## अधिनिर्णय

1.26 अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मुद्दों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अनंतिम आकलन इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल हो सकता है। अधिनिर्णायक प्राधिकरण के एक निर्णय को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

<sup>37</sup> 2013 की एआर सं. 17, पैरा 1.16, पेज 19।

<sup>38</sup> क 2013 की एआर सं. 17 के अध्याय 1 पर दिनांक 11 फरवरी 2014 का एटीएन।

<sup>39</sup> पीएसी की छियान्वेवीं रिपोर्ट (2013-13), भाग 11, पेज 28।

<sup>40</sup> पीएसी की छियान्वेवीं रिपोर्ट (2013-13), भाग 11, पेज 34।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

हमने तालिका 1.16(क) में सेवा कर अधिनिर्णयों का एक अवधि-वार विश्लेषण दर्शाया है; दर्शायी गई स्थिति वि.व. 11, वि.व. 12 तथा वि.व. 13 के 31 मार्च को अधिनिर्णय किये जाने के लिए शेष मामलों की है।

तालिका 1.16(क): सेवा कर में अधिनिर्णयों की विचाराधीनता

वर्ष	31 मार्च को लम्बित अधिनिर्णय		लम्बित अधिनिर्णय					
			< 1 वर्ष		1-2 वर्ष		>2 वर्ष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.11	18,834	61,770.73	14,496	54,143.55	2,897	7,238.06	1,441	389.12
वि.व.12	17,182	68,509.11	12,735	51,192.88	3,054	15,770.15	1,393	1,546.07
वि.व.13	22,690	64,599.24	18,212	48,156.56	3,382	14,723.70	1,096	1,718.98

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें<sup>41</sup>

डाटा दर्शाता है कि 31 मार्च 2013 को 64,000 करोड़ से अधिक की राशि के राजस्व वाले अधिनिर्णय निर्धारण हेतु लम्बित थे। अधिनिर्णयों की संख्या के रूप में विचाराधीनता वि.व. 13 में 22,000 को पार कर गई थी। मार्च 2013 में ₹ 1,718.98 करोड़ के राजस्व वाले एक हजार से अधिक मामले दो वर्षों के अवधि से अधिक से अधिनिर्णय हेतु लम्बित थे।

तालिका 1.16(ख) लम्बित कारण बताओ जापनों/गैर पुष्टीकृत माँगों की मुख्य श्रेणियों को दर्शाती है।

तालिका 1.16(ख): लम्बित एससीएनज तथा शामिल राशि

वर्ष	करोड़ ₹									
	पंजीकरण कराने में विफलता		एसटी-3 रिटर्न का देर से भरा जाना		एसटी विलम्बित भुगतान		का एसटी करने में विफलता		का भुगतान कर योग्य सेवाओं के मूल्य को छिपाना	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.11	478	42.39	6,486	1.61	893	23.42	8,950	4,768.84	6,311	10,752.99
वि.व.12	408	59.94	1,434	0.07	650	7.89	7,815	12,615.23	5,037	12,626.62
वि.व.13	293	55.01	1,710	0.25	517	189.86	9,803	22,685.36	6,100	24,836.28

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें<sup>42</sup>

सीएजी की 2013 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एआर सं. 17 के पैरा सं. 1.72 पर अपने एटीएन में, मंत्रालय ने कहा था कि बोर्ड ने लम्बित गैर पुष्टीकृत माँगों के निपटान की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया है। वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक कार्य योजना में, बोर्ड ने सभी मुख्य आयुक्तों को निर्देशित किया था कि लम्बित गैर पुष्टीकृत माँगों का निपटान

<sup>41</sup> सीबीईसी के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के साथ पुनर्समायोजन प्रतीक्षित है।

<sup>42</sup> सीबीईसी के पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 द्वारा।



व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अन्त में एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए कोई मामला लम्बित ना हो।

स्थिति की गंभीरता इस तथ्य द्वारा दर्शायी गई है कि मार्च 2013 को, 2012-13 के लिए सेवा कर राजस्व संग्रह के 45 प्रतिशत से अधिक राशि (₹ 64,599.24) अधिनिर्णय के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है; यह विभाग के लिए अधिनिर्णयों का तीव्र निर्धारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देने को विशिष्टता से दर्शाता है। हमारी पिछली रिपोर्ट में दर्शायी गई सेवा कर में अधिनिर्णयों के पूरा करने हेतु समय सीमा की आवश्यकता दोहराई जाती है।<sup>43</sup>

### कॉल बुक मामलों की विचाराधीनता

**1.27** विषय पर मौजूदा परिपत्रों में इस बात पर विचार किया गया है यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियों के वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (सीएक्स) ने दिनांक 03.01.2005 के अपने डी.ओ. एफ सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक में मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए माहवार समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया कि इससे कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

हाल के कुछ वर्षों के दौरान सेवा कर में कॉल बुक निपटान के संबंध में हमने विभाग के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को सारणीबद्ध किया और देखा कि कॉल बुक मामलों का लंबन निरंतररूप से बहुत अधिक बना हुआ है। **तालिका 1.17** कॉल बुक में निपटान हेतु प्रविष्टियों की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 1.17: 31 मार्च को लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	मामलें	शामिल राजस्व	वर्ष वार विचाराधीकता				करोड़ ₹
			< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	> 5 वर्ष	
वि.व.11	6,430	15,667.47	3,003	2,065	1,135	227	
वि.व.12	8,350	20,273.45	2,736	3,157	2,162	295	
वि.व.13	8,637	21,339.85	3,203	2,451	2,673	310	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें।<sup>44</sup>

<sup>43</sup> 2013 की एआर पत्र सं. 17, पैरा 1.73, पेज 22।

<sup>44</sup> सीबीईसी क पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए डाटा के साथ पुनर्समयायोजन प्रतीक्षित है।

शामिल राजस्व के साथ-साथ कॉल बुक मामलों की संख्या वि.व.13 के दौरान बढ़ी है, जो मासिक समीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की निगरानी सहित बारीकी से निगरानी की आवश्यकता को दर्शाता है।

### विभिन्न अपीलीय फोरमों में मामलों की विचाराधीनता

1.28 अधिनिर्णायक प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों इत्यादि सहित कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहाँ न्यायिक बिन्दु, व्याख्याएँ इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, विभाग बहुत से मामलों में बलपूर्वक वसूली के उपायों की सहायता लेता है। राजस्व की बड़ी राशियाँ महत्वपूर्ण समयावधि के लिए भारत की संचित निधि से बाहर पड़ी रहती हैं। सीबीईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.18 में विभिन्न फोरमों में मामलों की विचाराधीनता को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.18: विभिन्न अपीलीय फोरमों में मामलों की विचाराधीनता

वर्ष	के पास/के लिए लम्बित मामलों की सं.				मामलों की कुल राजस्व		>2 वर्षों से लम्बित राजस्व	
	अपीलीय आयुक्त	सीबीईसी/सरकार	सेसटेट	न्यायपालिका	बलपूर्वक वसूली	कुल सं.	कुल राजस्व	राजस्व
वि.व.11	8,046	13	6,146	1,750	20,730	36,685	54,741.87	15,501.57
वि.व.12	11,235	2	8,456	1,551	22,426	43,670	80,095.89	15,611.29
वि.व.13	13,587	0	13,154	1,890	20,995	49,626	1,37,950.4	54,959.69

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।<sup>45</sup>

अपीलीय फोरमों के समक्ष मामलों की संख्या (एवं शामिल राजस्व) वृद्धि पर हैं जैसा कि डाटा दर्शाता है। ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के राजस्व वाले मामले वि.व. 13 में अपीलों में लटके हुए थे। क्योंकि जब तक एक अपील लम्बित है, तब तक बकाया राजस्व की वसूली हेतु कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जा सकती, विशेषकर जहाँ एक निषेधाज्ञा प्रदान की गई है, राजस्व की इतनी बड़ी राशियों का अवरुद्ध हो जाना चिंता का विषय बन जाता है।

जून 2010 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय वाद नीति इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार एवं इसकी विभिन्न एजेन्सियाँ देश में न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों में प्रमुख वादी हैं। इसका लक्ष्य सरकार को एक दक्ष एवं जिम्मेदार वादी बनाना है। वि.व. 12 का बजट भाषण सूचित करता है कि उच्च राजस्व मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा वादों को कम करने हेतु वि.व. 11 में कदम उठाए गए थे। कर प्रभाव की सीमा को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं जिससे नीचे अपील के उच्चतर न्यायालयों में सरकार द्वारा वाद जारी नहीं रखे

<sup>45</sup> सीबीईसी के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के साथ पुनसर्मायोजन प्रतीक्षित है।

जाएंगे। इन उपायों से राजस्व बढ़ाने में लगे संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है।

मंत्रालय ने 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17 के पैरा सं. 1.76 के अपने एटीएन में इसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या की सूचना दी थी जो उन मामलों की संख्या से काफी ज्यादा थी जहाँ वास्तव में अपील दायर की गई थीं। मंत्रालय ने मार्च 2013 में भी सूचित किया है कि अपीलों के निपटान को तेज करने के लिए कई उपाय किये गए हैं जिनमें एकल सदस्यीय बेंच की शक्तियों को बढ़ाने हेतु संशोधन, लम्बित अपीलों का जल्द निपटान प्राप्त करने हेतु आयुक्त (अपील) के कार्यभार का पुनर्वितरण, सेटलमेंट कमीशन द्वारा सेवा कर मामलों के निपटान की सुविधा का विस्तार इत्यादि शामिल हैं। यद्यपि, डाटा (वि.व. 11 से वि.व. 13) दर्शाता है कि अपीलों की विचाराधीनता अभी भी बढ़ रही है।

31 मार्च को 2 वर्षों से अधिक से लम्बित अपीलों का डाटा नीचे तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: 31 मार्च 2013 को अपील मामलों की विचाराधीनता

फोरम	विचाराधीनता की अवधि पर आधारित मामलों का विवरण				करोड़ ₹
	2-5 वर्ष		> 5 वर्ष		
	सं.	राशि	सं.	राशि	
आ. (अपील)	2,708	622.67	192	314.88	
सेसटेट	5,727	32,733.77	1,039	2,481.25	
उच्च न्यायालय	1,013	1105.85	377	450.18	
सर्वोच्च न्यायालय	69	74.58	18	23.56	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।

## कर का बकाया

1.29 विधि उत्थित परन्तु संपादित ना किये गए राजस्व की वसूली की विभिन्न पद्धतियाँ निर्धारित करती हैं। इनमें व्यक्ति जिससे राजस्व की वसूली की जानी है, को देय राशि, यदि कोई हो तो, के प्रति समायोजन, उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की एवं बिक्री द्वारा वसूली तथा जिला राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली सम्मिलित है।


तालिका 1.20 राजस्व बकाया की वसूली के संबंध में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाती है।

तालिका 1.20: राजस्व वसूली - सेवा कर

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रह	करोड़ ₹
			वर्ष के प्रारंभ में बकाया के % के रूप में संग्रह
वि.व.09	2,503.09	1,198.68	47.89
वि.व.10	4,441.61	864.30	19.46
वि.व.11	9,081.73	1,273.65	14.02
वि.व.12	14,340.28	1,669.45	11.40
वि.व.13	20,361.46	2,321.69	11.40

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों<sup>46</sup>

मंत्रालय ने कर बकाया वसूली को तेज करने के लिये किए गए विभिन्न उपाय सूचित किये जैसे उच्च राशि मूल्य मामलों के मामलों में न्यायालय में सशक्त प्रयास, बीआईएफआर के समक्ष लम्बित मामलों की सक्रिय आगामी कार्यवाही इत्यादि, अनुकूल निर्णयों का तीव्र कार्यान्वयन, राजस्व के बकाया पर कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस का निर्माण एवं उसका नियमित अद्यतन तथा समीक्षा, विभिन्न संरचनाओं के राजस्व के बकाया का नियमित निरीक्षण और बकाया की वसूली के लिए अधिकारियों के समर्पित दल का गठन। इसके अलावा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के राजस्व के बकाया की वसूली पर विवरण पुस्तिका संकलित की गई तथा बकाया की वसूली हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं को प्राथमिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं में प्रचारित की गई।<sup>47</sup>



यद्यपि, चार्ट 1.6 से हमने देखा कि बकाया की वसूली की समग्र गिरती प्रवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

### सेवा कर में मॉनीटरिंग तंत्र

1.30 हमने यह अध्याय मुख्यतः सीबीईसी के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर संकलित किया है। सीबीईसी ने विभिन्न निष्पादन मानदण्डों जैसे अगस्त 2013 में प्राथमिक एवं विस्तृत संवीक्षा, प्रतिदाय, बकाया वसूली, कॉल बुक मामलों के विचाराधीनता इत्यादि से संबंधित वि.व. 11, वि.व. 12 एवं वि.व. 13 की 3 वर्षीय अवधि के लिए डाटा उपलब्ध

<sup>46</sup> सीबीईसी के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के साथ पुनर्सर्मायोजन प्रतीक्षित है।

<sup>47</sup> सीएजी की 2013 की एआर 17 के पैरा सं. 1.51 पर एटीएन द्वारा।

कराया। यद्यपि, हमने देखा कि कुछ स्थानों पर, उपलब्ध कराया गया डाटा 2013 की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ मिलान नहीं करता अतः विभाग द्वारा पुनर्समायोजन की आवश्यकता होगी।<sup>48</sup> सेवा कर में डाटा की गुणवत्ता तथा मॉनीटरिंग पहलुओं में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। सेवा कर महानिदेशालय मुंबई, निरीक्षण महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (इंटेलीजेंस) महानिदेशालय, नई दिल्ली आदि जैसे प्राधिकरण लेखापरीक्षा द्वारा परस्पर उपयोग हेतु विश्वसनीय डाटा के प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। सेवा कर में मासिक तकनीकी रिपोर्ट अनुबंधों के फार्मेट की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्तृत संवीक्षा करने जैसे महत्वपूर्ण मद छिपाये नहीं गये हैं, महत्वपूर्ण हैं। विभाग में कोई आवधिक विवरणी नहीं है जो मामलों की संख्या और प्रतिदायों के संबंध में अदा किये गये ब्याज की राशि की निगरानी रखती है, यह स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध कराये गये आंकड़े कितने सही और विश्वसनीय हैं। डाटा प्रबंधन निदेशालय द्वारा सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंध में किए जाने वाले डाटा विश्लेषण नियमित आधार पर सेवा कर के लिए किये जाने की आवश्यकता है।

सेवा कर राजस्व जिस गति से बढ़ रहे हैं (वि.व.14 हेतु सेवा कर के लिए आरई आंकड़ें वि.व.13 में ₹ 1,32,601 करोड़ के वास्तविक संग्रहण के प्रति ₹ 1,64,927 हैं) यह आवश्यक है कि सीबीईसी अपने अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों की निष्पादन निगरानी करने के लिए विद्यमान प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करे।<sup>49</sup>

### लेखापरीक्षा रिपोर्टों का प्रभाव

1.31 हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के द्वारा, हम लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को हमारे पणधारकों के ध्यान में लाया गया है। हाल ही की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (इस रिपोर्ट सहित) में दर्शाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों को तालिका 1.21 में श्रेणी-वार दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: सेवा कर में अननुपालन पर आपत्तियां

वर्ष	सेनवेट	छूट	ब्याज	कुछ नहीं/कम	मूल्यांकन	करोड़ ₹	
						मिश्रित	कुल
वि.व.09	-	24.93	1.86	330.91	8.12	9.73	375.55
वि.व.10	18.63	8.77	1.59	128.29	0.16	4.92	162.18
वि.व.11	33.15	9.81	0.50	140.02	13.08	8.18	204.74
वि.व.12	178.80	-	2.68	318.20	-	0.55	500.23
वि.व.13	48.82	-	4.55	211.76	-	0.62	265.75

<sup>48</sup> इस अध्याय में तालिका 1.7, 1.9 (ख), 1.15(क), 1.16, 1.17 तथा 1.18 का संदर्भ लें।

<sup>49</sup> वि.व.13 के लिए आँकड़े अनंतिम खातों पर आधारित हैं; वि.व.14 के लिए आरई आँकड़े प्राप्त बजट 2014-15, फरवरी 2004 से हैं।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

इस अवधि के दौरान, हमने ₹ 1508.45 करोड़ के कुल सेवा कर वाले 851 लेखापरीक्षा पैराग्राफों की रिपोर्ट दी है। सरकार ने 1398.90 करोड़ के राजस्व वाले 815 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 395.09 करोड़ की वसूली की गई। हमारे द्वारा विवरण तालिका 1.22 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.22: सेवा कर-हाल ही की अननुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्शाई गई आपत्तियां

एआर का वर्ष	जोड़े गये पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ और/या की गई सुधारात्मक कार्रवाई						प्रभावित वसूलियां					
			प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल	प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल		
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.09	155	375.55	130	305.13	8	4.92	138	310.05	90	127.49	1	0.24	91	127.73
वि.व.1	194	162.18	175	121.31	9	2.60	184	123.91	112	33.05	9	2.60	121	35.65
वि.व.1	199	204.74	184	185.69	11	17.79	195	203.48	122	78.76	9	2.24	131	81.00
वि.व.1	152	500.23	150*	498.65	1	0.52	151	499.17	88	84.58	4	0.85	92	85.43
वि.व.1	151	265.75	147*	262.29	-	-	147	262.29	95	65.28	-	-	95	65.28
<b>कुल</b>	<b>851</b>	<b>1508.45</b>	<b>786</b>	<b>1373.07</b>	<b>29</b>	<b>25.83</b>	<b>815</b>	<b>1398.90</b>	<b>507</b>	<b>389.16</b>	<b>23</b>	<b>5.93</b>	<b>530</b>	<b>395.09</b>

\*अंतर्ग्रस्त राजस्व स्वीकृत किया गया जबकि विभागीय कमियों को स्वीकृत न करने वाले मामलों सहित।

वर्तमान रिपोर्ट में चर्चित आपत्तियों राजस्व निर्धारण और संग्रहण क्षेत्र पर विभाग के प्रदर्शन में आगे और सुधार की गुंजाईश को दर्शाती हैं।

इस रिपोर्ट में कुल राजस्व कार्रवाई के तहत कुल ₹ 265.75 करोड़ वाली 151 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं। फरवरी 2014 तक, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 262.29 करोड़ के राजस्व वाली 147 लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकृत किया था और ₹ 65.28 करोड़ की वसूली की सूचना दी गई थी। रिपोर्ट में विभागीय कमियों को दर्शाते हुए 20 आपत्तियां शामिल हैं।<sup>50</sup>

### लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही

1.32 सार्वजनिक लेखा समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोक सभा) में संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट को रखने की तिथि से चार महीनों की अवधि के अंदर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों के सभी पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक टिप्पणियों के अपेक्षित प्रस्तुतीकरण की हमारे द्वारा विवीक्षा की गई।

अप्रत्यक्ष करों पर पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दिये गये सेवा कर से संबंधित पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों की समीक्षा ने दर्शाया कि की गई उपचारात्मक कार्रवाई के प्रस्तुतीकरण में कोई विलंब नहीं है।

<sup>50</sup> अंतर्ग्रस्त राजस्व स्वीकृत किया गया जबकि विभागीय कमियों को स्वीकृत न किये गये मामलों सहित 147 मामले हैं।